

	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>विश्वेश्वर नाडोला बनाम लो.सू.अ.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 180/2017</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
17	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी विश्वेश्वर नाडोला पता माली थलियों का बास, होटल सिटी पेलेस के पीछे, नई सड़क जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 01.10.17. में उसके द्वारा (1) श्रीमान् अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर के राजस्व अपील सं. 4/2009 निर्णय दिनांक 02.07.2009 की पत्रावली की प्रतिलिपि कार्यालय टिप्पणी सहित, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलेक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर. कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के उक्त बिन्दुओं से संबंधित प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।</p>	